

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नईटिहरी, टिहरी गढ़वाल।


आवश्यक सूचना

दिनांक 30 जनवरी, 2024


शासनादेश संख्या 149416/XXIV-C2/2023/06(02)2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 के अनुपालन में महाविद्यालय में स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं हेतु "मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना" प्रारम्भ की गयी है। छात्रवृत्ति हेतु अनिवार्य अर्हताएं निम्न प्रकार से हैं-

1. स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत् छात्र/छात्रा ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा 80 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
2. स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत् छात्र/छात्रा ने विगत वर्ष की परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
3. अध्ययनरत कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत की उपस्थिति होनी चाहिए।

अतः उपरोक्त अर्हताएं रखने वाले छात्र/छात्राएं दिये गये लिंक-<https://cmheiss.Samarth.ac.in> पर आवेदन करना सुनिश्चित करें एवं आवेदन पत्र की हार्ड कापी महाविद्यालय में अन्तिम तिथि दिनांक 03 फरवरी, 2024 तक जमा करना सुनिश्चित करें।




(श्री दिनेश कुमार)  
संयोजक, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा  
प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना

  
प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
नईटिहरी, टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि-प्रभारी वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करें।

  
20.1.2024  
प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
नईटिहरी, टिहरी गढ़वाल।